रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 19] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 15, 1973/पौष 25, 1894

No. 19] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 15, 1973/PAUSA 25, 1894

इस भाग को भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separte compilation

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

ORDER

New Delhi, the 15th January 1973

S.O. 22(E)/18AA/IDRA/73.—Whereas the Central Government is satisfied that the persons in charge of the industrial undertaking known as Shri Janki Sugar Mills ıd Company, Doiwala District Dehra Dun (Uttar Pradesh) (hereinafter in this rder referred to as the said industrial undertaking) have by creation of incumanches on the assets of the said industrial undertaking and by diversion of funds, rought about a situation which is likely to affect the production of sugar manuractured in the said industrial undertaking and that immediate action is necessary to prevent such a situation:

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby authorises the Uttar Pradesh State Sugar Corporation Limited, to take over the management of the whole of the said industrial undertaking.

This order shall have effect for a period of one year from the date of its publication in the Official Gazette.

[No. F. 4/11/72-C.U.C.]

D. K. SAXENA, Jt. Secy.

औद्योगिक विकास मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 15 जनवरी, 1973

का० आ० 22 (अ)/18 ए० ए० /आई० डी० आर० ए०/73.—यतः केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि श्री जानकी शुगर मिल्स एण्ड कम्पनी, दोईवाला, जिला देहरादून (उत्तर प्रदेश) (जिसे इस आदेश में इस के पश्चात् उक्त औद्योगिक उपक्रम कहा गया है) नामक औद्योगिक उपक्रम के भार-साधक व्यक्तियों ने, उक्त औद्योगिक उपक्रम की आस्तियों पर विलेगमों का सृजन करके और निधियों के विपथन द्वारा ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी है कि जिससे उक्त उपक्रम में विनिर्मित शर्करा के उत्पादन पर प्रभाव पड़ने की संभावना है और ऐसी स्थिति से बचने के लिए तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक है ;

अतः, अब उद्योग (विकास और विनियम) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18फक की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सम्पूर्ण प्रबन्ध ग्रहण करने के लिए एतद्द्वारा प्राधिकृत करती है ।

यह आदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगा ।

[सं० फा० 4/11/72—सी० य०सी०]

डी० के० सक्सेना,

संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973